झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं. 4437/2022

नसीम अंसारी, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता- ईश्वर पासवान, निवासी गांव- बरई इस्लाम पुर, डाकघर और थाना- बिशनुगढ़, जिला- हजारीबाग, झारखंड

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ..... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए : साजिद यूनुस, एडवोकेट

राज्य के लिए : श्री अभय कुमार तिवारी, अटरिक्त पीपी

उत्तरदाता के लिए : एच के शिकारवार

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- **<u>अंतर्वर्ती आवेदन सं. 11727 / 2022</u>**

दोनों पक्षों को सुना और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुखबिर के लिए विद्वान वकील को सुना।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अंतर्वर्ती आवेदन पर जोर नहीं दिया।

तदनुसार, इस अंतर्वर्ती आवेदन को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि इस पर जोर नहीं दिया गया है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०.)

<u>आपराधिक विविध याचिका संख्या 4437 / 2022</u>

1. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, हालांकि, कई प्रार्थनाओं के साथ, लेकिन याचिकाकर्ता ने अपनी प्रार्थना को केवल 12.09.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए सीमित कर दिया है, जो बिष्णुगढ़ वाद सं. 243/2021 के संबंध में पारित किया गया था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 435/436 और 120बी और 427 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया था, जिसके द्वारा, अनुमंडल न्यायिक अधिकारी, हजारीबाग ने आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति के समय और स्थान का उल्लेख किए बिना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है और अन्य सभी प्रार्थनाओं को छोड़ दिया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए समय और स्थान का उल्लेख किए बिना जारी किया गया है, इसलिए, यह कानून के अनुसार नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुमंडल न्यायिक अधिकारी, हजारीबाग द्वारा बिष्णुगढ़ वाद सं. 243/2021 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 को रद्द किया जाए और अलग किया जाए।

3. विद्वान अतिरिक्त पी.पी. और सूचनाकर्ता के विद्वान वकील ने बिष्णुगढ़ वाद सं. 243/2021 के संबंध में अनुमंडल न्यायिक अधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 12.09.2022 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह सामान्य ज्ञान है कि जब अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करती है, तो अभियुक्त को संबंधित अदालत के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है, 30 दिनों के भीतर काम के घंटों के दौरान, इसलिए, उपस्थिति का समय और स्थान तय न करना याचिकाकर्ता की ओर से केवल एक कमजोर बहाना है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि इस याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाए।

4. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अब तक यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अदालत जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करती है, उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने के बाद, इसमें याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए समय और स्थान का उल्लेख उसी आदेश में होना चाहिए जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है क्योंकि विद्वान अनुमंडल न्यायिक अधिकारी, हजारीबाग ने उक्त आदेश में याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए कोई समय या स्थान तय नहीं किया है, इसलिए, अनुमंडल न्यायिक अधिकारी, हजारीबाग द्वारा बिष्णुगढ़ वाद सं. 243/2021 के संबंध में पारित उक्त आदेश दिनांक 12.09.2022 कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना पारित किया गया है। इसलिए, यह कानून में टिकाऊ नहीं है और इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए यह एक उपयुक्त मामला है जहां अनुमंडल न्यायिक अधिकारी, हजारीबाग द्वारा बिष्णुगढ़ वाद सं. 243/2021 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

5 तदनुसार, विद्वान अनुमंडल न्यायिक अधिकारी, हजारीबाग द्वारा बिष्णुगढ़ वाद सं. 243/2021 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 को रद्द किया जाता है और अनुमंडल न्यायिक अधिकारी, हजारीबाग कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित कर सकता है।

6. परिणाम में, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति दी जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
5 जनवरी, 2024 को दिनांकित किया
स्मिता/ए. एफ. आर.

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।